कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमाँक **82**/दो–11–5/2008(PART-III) बैकुण्ठपुर, दिनाँक 03.02.2024

इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत सहायक ग्रेड–3 के नवनियुक्त 01 कर्मचारी के द्वारा सेवा से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची से उसी श्रेणी के उम्मीदवार को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये नीचे वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :–

क्र0	चयनित उम्मीद्वारों का नाम एवं पता	श्रेणी	नवनियुक्त पदनाम	चयन श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	कु0 नूतन एक्का पिता स्व0 श्री दयानंद एक्का, आजाद नगर 53/726 गोदरीपारा, चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) पिन–497555	अनुसूचित जनजाति	सहायक ग्रेड–3	अनुसूचित जनजाति	5200–20200+1900 G.P. (छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल–4)

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें :–

1. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी ।
2. परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
3. अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना कार्यालय को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा । इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा ।
4. चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो नियुक्ति आदेश संबंधित के संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
5. कार्यभार ग्रहण करने के दिन ही वे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्रों सहित अवश्य प्रस्तुत करें । यदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी ।
6. चयनित उम्मीद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निष्पादित स्वस्थता का प्रमाण–पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय संबंधित को स्वयं वहन करना होगा ।
7. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा ।
8. उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा । पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में संबंधित के संबंध में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

9. सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे तथा बिना पूर्व अनुमति अध्ययन जारी नहीं रखेंगे ।

10. चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय दो प्रति सेवा पुस्तिका एवं एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पास बुक कार्यालय में जमा करना होगा ।

03/02/2024

(आनंद कुमार ध्रुव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमाँक 287/दो–11–5/2008(PART-III) बैकुण्ठपुर, दिनाँक 03.02.2024

प्रतिलिपि :–

1. कु0 नूतन एक्का पिता स्व0 श्री दयानंद एक्का, आजाद नगर 53/726 गोदरीपारा, चिरमिरी, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0) पिन–497555 ।
2. लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित् है ।

03/02/2024

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)